

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,  
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/  
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णिया/सीतामढ़ी/  
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/  
मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा।

पटना, दिनांक :- 13/6/22

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के द्रुत गति से संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षात्मक बैठक विभिन्न बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाता है एवं इस बैठक में शिविर स्तरीय कर्मियों को समीक्षा हेतु उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है। जिला स्तरीय बैठक होने के फलस्वरूप शिविर के कर्मियों को उक्त बैठक में अपनी परिवहन व्यवस्था के साथ जिला मुख्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। परिवहन या यात्रा भत्ता की सुविधा प्रावधानित नहीं रहने के फलस्वरूप विभिन्न जिलों से इस हेतु कठिनाई आदि की सूचना प्राप्त हो रही है।

विदित हो कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कर्मियों के लिए निर्धारित नियोजन नियमावली अथवा नियोजन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में परिवहन या यात्रा भत्ता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस तरह के प्रावधान कराने हेतु मुख्यालय स्तर से प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में तत्काल अनुरोध है कि जिला स्तर पर की जानेवाली समीक्षात्मक बैठकों को शिविर स्तर पर ही करना सुनिश्चित किया जाए एवं शिविर स्तरीय विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक शिविर मुख्यालय में जाकर की जाए अथवा ऑनलाईन (Online) माध्यम से की जाए। साथ ही शिविर स्तरीय आवश्यकताओं यथा एजेंसी से प्राप्त होने वाले अपडेटेड मानचित्र, प्रपत्रों की आपूर्ति इत्यादि को जिला मुख्यालय द्वारा अधिक से अधिक अपने संसाधनों के माध्यम से शिविर स्तर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि शिविर स्तरीय कर्मियों को समीक्षात्मक बैठक अथवा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक जिला का भ्रमण नहीं करना पड़े एवं वे पूर्ण रूप से सर्वेक्षण कार्यों में संलग्न रहें। ग्राम स्तर पर कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीन यदि अपने आवंटित ग्राम में रहकर कार्य करते हैं तो उनकी दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति को ही संधारित किया जाए और इसके लिए उन्हें शिविर कार्यालय में उपस्थित होने की बाध्यता से मुक्त रखा जाए।

उनके कार्यस्थल पर उनकी उपस्थिति की जाँच स्थानीय सूचनाओं के माध्यम से अथवा जिला एवं शिविर स्तर के लिए जाने वाले औचक निरीक्षण के द्वारा की जाए।

अतः अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों के क्रम में जिला स्तरीय संसाधनों की सहायता से शिविर स्तरीय कर्मियों के मुख्यालय भ्रमण को यथासम्भव कम किया जाए ताकि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की समस्याओं को दूर किए जाने के साथ ही विशेष सर्वेक्षण कार्य को भी गति प्रदान की जा सके।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (3) विविध- सर्वे0एवं प्रशिक्षण बैठको की (कार्यवाही) 08/2021<sup>14/5</sup> पटना, दिनांक : 13/6/22  
प्रतिलिपि :- प्रभारी सर्वेक्षण कोषांग भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक- 01/भू0अ0नि0 (3) विविध- सर्वे0एवं प्रशिक्षण बैठको की (कार्यवाही) 08/2021<sup>14/5</sup> पटना, दिनांक : 13/6/22  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)

भू-अभिलेख एवं परिमाण